न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के. आई.ए.एस.)

प्रकरण (प्रा0पत्र) सं0 — 77/2019

प्रविष्टि दिनांक — 04.07.2019

उनवान

गोपाल पुत्र भूरा जाति अहीर निवासी अहीरो का मोहल्ला पुरानी टोंक राज.

—वादी / आवेदक

बनाम

1. हुकमचन्द पुत्र रामदेव जाति माली निवासी मोदी की चौकी, टोंक राज.
2. रामफूल पुत्र रामदेव जाति माली निवासी मोदी की चौकी, टोंक राज.
3. श्रवणी पुत्री रामदेव जाति माली निवासी मोदी की चौकी, टोंक राज.
4. केलाश पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी मोदी की चौकी, टोंक राज.
5. कन्हैया पुत्र मांगीलाल जाति माली निवासी मोदी की चौकी, टोंक राज.
6. फूली पुत्री मांगीलाल जाति माली निवासी मोदी की चौकी, टोंक राज.
7. रामघणी पत्नी मांगीलाल जाति माली निवासी मोदी की चौकी, टोंक राज.
8. तहसीलदार टोंक राज0

— अप्रार्थी

उपस्थित—

— प्रतिवादीगण

श्री जितेन्द्र सिंह नरूका —वकील वादी

श्री अर्जुनलाल मीणा ना.तह.—पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 2010

दिनांक— 23/4/2020

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि आराजी खसरा नम्बर 3509 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके कस्बा टोंक, पटवार क्षेत्र कस्बा टोंक गर्बी, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेवत्र कस्बा टोंक, तह0 व जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, जिसका अंकन जमाबंदी खाता सं0—164, जमाबंदी सम्वत 2070—2073 में दर्ज है, जो आवेदक की खातेदारी एवं कब्जे, काश्त की आराजीयात हैं। भूमि आराजी खसरा नम्बर 3515 रकबा 18 बिस्वा वाके कस्बा टोंक, पटवार क्षेत्र कस्बा टोंक गर्बी, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कस्बा टोंक, तह0 व जिला टोंक राजस्थन में स्थित है, जिसका अंकन जमाबंदी खाता सं0—नया 1066, पुराना [illegible] जमाबंदी सम्वत 2070—2073 में दर्ज है, जो प्रतिपक्षीपगण की खातेदारी एवं कब्जे, काश्त की आराजीयात है। आवेदक की उक्त वर्णित भूमि प्रतिपक्षीगण की उक्त भूमि के भूमि के उत्तर में स्थित हैं। आवेदक प्रतिपक्षीगण की भूमि के दक्षिण—पश्चिम में मेड पर वसे होता हुआ आता—जाता है तथा अपने कृषि यंत्र लाते—ले जाता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता आवेदक के पास अपनी भूमि पर आने—जाने हेतु नही है। आवेदक के पास अपनी भूमि में आने —जाने व अपने कृषि यंत्र लाने—ले जाने हेतु प्रतिपक्षीगण की उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं होने के कारण इस कारण आवेदक प्रतिपक्षीगण से उनकी भूमि में से 20 फिट चौडा रास्ता व दक्षिणी—पश्चिमी ओर प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

करने का अधिकारी है। इस हेतु आवेदक नियमानुसार राशि भी प्रतिपक्षीगण को अदा करने को तैयार व तत्पर है। इस कारण श्रीमान के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। आवेदक उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग हेतु नियमानुसार शुल्क भी प्रतिपक्षीगण को अदा करने को हमेशा तैयार व तत्पर रहा है। क्योकि उक्त रास्ता ही एक मात्र आवेदक की भूमि पर जाने का रास्ता है, जिससे आवेदक आता—जाता है। इस कारण आवेदक को उसकी भूमि पर जाने हेतु प्रतिपक्षीगण की भूमि में से दक्षिणी—पश्चिमी ओर 20 फिट चौडा रास्ता मंजूर किया जाना व उक्तानुसार नक्शा शीट में रास्ते का अंकन कराया जाना उचित एवं न्याय संगत है। प्रतिपक्षीगण विगत कई दिनों से आवेदक को उक्त रास्ते में से आने—जाने में बाधा कारित करने लगे है, जिससे आवेदक को असीम मानसिक, शारीरिक पीडा कारित हो रही है तथा आवेदक अपनी भूमि पर आने—जाने में असमर्थ होने के कारण आवेदक को आर्थिक पीडा भरी पृथक से कारित हो रही है। इस कारण भी आवदेक, प्रतिपक्षीगण की उक्त भूमि से 20 फिट चौडा रास्ता नियमानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है। तहसीलदार टोंक को लेण्ड होल्डर होने से उन्हे उक्त वाद में पक्षकार बनाया गया है। आवेदन प्ररतुत करने का कारण कुछ दिनो पूर्व उत्पन्न हुआ, जब प्रतिपक्षीगण ने आज से 7 दिन पूर्व आवेदक को उसकी भूमि पर आने—जाने हेतु उक्त रास्ते में अवरोध कारित किया और रास्ते का उपयोग व उपभोग करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ है, जो निरंतर जारी है। प्रस्तुत आवेदन अ0 धारा 251(ए) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 2010 के तहत उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदक को अपनी उक्त खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 3509 रकवा 2 बीघा 3 बिस्वा वाके कस्बा टोंक पर आने—जाने एवं अपने कृषि यंत्रो को जाने—ले जाने हेतु प्रतिपक्षीगण की खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 3515 रकबा 18 बिस्वा वाके कस्बा टोंक में से 20 फिअ चौडा रास्ता दक्षिण—पश्चिमी ओर दिया जावे अर्थात मंजूर किया जावे, राजस्व रिकार्ड नक्शा—शीट में उक्तानुतसार तरमीम कराई जावे और रास्ते का अंकर राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिपक्षी सं0 1 से 7 के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने एंव अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिपक्षी सं0 8 तहसीलदार टोंक की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब मे अंकितानुसार वादपत्र में अंकित कृषि भूमि ख.न. 3509 मे कृषि कार्य हेतु आने—जाने का मुताविक शीट रास्ता मौजूद नहीं है वादी द्वारा वादपत्र में अंकित दावे अनुसार दावा प्रसांगिक है परन्तु प्रतिवादी की असहमति की स्थिति में अधिनियम के अनुसार न्यूनतम चौडाई सीमा तक वाद स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2070—73, नक्शा ट्रेस आदि प्रस्तुत किये जो शमिल पत्रावली है।

अधिवक्ता प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान अपने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। जिनका पृथक से उल्लेख नहीं किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

हमने वाद पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रकरण में प्रतिपक्षीगण 1 ता 7 को न्यायालय हाजा का नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद भी वे लोग अपना पक्ष रखने के लिए काफी लम्बी अवधि तक न्यायालय में पेश नहीं हुए है। जबकि उन्हे छः माह से अधिक अवधि का समय दिया गया। इसके पश्चात न्यायहित में उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण में प्रस्तुत तहसीलदार टोंक के जवाब के अनुसार मौके एंव राजस्व रिकार्ड में आवेदक की खातेदारी भूमि आ.ख.न. 3509 मे कृषि कार्य हेतु आने–जाने का रास्ता मौजूद नहीं है। प्रतिपक्षीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 3515 में से होकर ही जाने का रास्ता दिये जाने के अलावा कोई विकल्प न्यायालय के पास नहीं है। इस स्थिति में अधिनियम के अनुसार न्यूनतम चौडाई सीमा तक आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलस्वरूप आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम 2010 स्वीकार किया जाकर, आवेदक को उसकी खातेदारी की कस्बा टोंक गर्बी स्थित भूमि ख.न. 3509 मे आने जाने एंव अपने कृषि यन्त्रों को लाने ले जाने हेतु प्रतिपक्षीगण की कस्बा टोंक गर्बी स्थित खातेदारी भूमि आ.ख.न. 3515 मे से 15 फिट चौडा रास्ता दक्षिण–पश्चिमी ओर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत रास्ता दिया जाता है। तहसीलदार टोंक को उक्तानुसार पालना कर, नियमानुसार कार्यवाही एवं नियमानुसार राशि वसूली कर, आवेदक को रास्ता दिया जाकर, राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/X/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक